

डॉ० विजय कुमार
अध्यापक, पाश्वर्नाथ विद्यापीठ

एक कुशल राजनीतिज्ञ, समाजसुधारक और आचारशास्त्री थे। वे वर्तमान के उन विद्वानों में से नहीं थे जिन्होंने नई विचारधाराओं को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया, बल्कि उनका सम्पूर्ण जीवन ही उनके चिन्तन का मूर्त रूप था। यद्यपि गांधीजी ने कोई नवीन तत्वज्ञान प्रणीती नहीं दी जैसा कि यथार्थवाद, विज्ञानवाद आदि, बल्कि पुराने तत्वों को नया अर्थ देकर व्यावहारिक स्तर पर एक नये जीवन मार्ग (Way of Life) को प्रशस्त किया।

गांधी द्वारा भारतीय सामाजिक इतिहास में दिए गए अवदान को भुलाया नहीं जा सकता है। भारतीय जीवन दर्शन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें गांधी ने अपना चिन्तन प्रस्तुत न किया हो। प्रस्तुत पत्र में हम गांधी द्वारा भारतीय शिक्षा-व्यवस्था में किए गए अवदान को प्रस्तुत करेंगे।

शैक्षिक विचार : बुनियादी शिक्षा

गांधी ने जो शिक्षा-व्यवस्था समाज को प्रदान की उसे हम बुनियादी शिक्षा के नाम से जानते हैं। सामान्य एवं राजनीतिक उत्थान के लिए गांधी शिक्षा का नवसंस्कार चाहते थे, यही कारण है कि उन्होंने बुनियादी शिक्षा को प्रस्तुत किया। उनका मानना था कि जिस प्रकार किसी इमारत के निर्माण में नींव की मजबूती अपेक्षित है, उसी प्रकार राष्ट्र की भविष्य रचना के लिए बच्चों का शैक्षिक स्तर का सुदृढ़ होना आवश्यक है। गांधी ने साक्षरता या लिखने-पढ़ने को शिक्षा नहीं माना। उन्होंने कहा कि साक्षरता न तो शिक्षा का अन्त है और न ही शिक्षा का प्रारम्भ। यह तो एक साधन है, जिसके द्वारा स्त्री-पुरुष को शिक्षित किया जाता है। वस्तुतः शिक्षा तो वह है जो बालक और मनुष्य के शरीर मन और आत्मा में निहित सर्वोत्तम को बाहर प्रकट करे। दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि सच्ची शिक्षा वह है जो बालकों की आत्मिक, बौद्धिक और शारीरिक क्षमताओं को उनके बाहर प्रकट करे और उत्तेजित करे।

प्रत्येक व्यक्ति, समाज या सम्प्रदाय का अपना जीवन दर्शन होता है, जीवन दर्शन से तात्पर्य है जीवन से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं व उलझनों के विषय में किसी निष्कर्ष पर पहुँचना तथा उसके अनुसार जीवन-यापन करना। जब वही व्यक्ति या समाज अपने जीवन-दर्शन के अनुरूप अपने भावी समाज को ढालना चाहता है और अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाता है, वही उसका शिक्षा-दर्शन होता है।

शिक्षा का विषय सम्पूर्ण मानव जीवन है, क्योंकि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है और उसका सम्बन्ध मानव के सम्पूर्ण जीवन से होता है। जीवन को समृद्धि बनाने के लिए शिक्षा और दर्शन दोनों की आवश्यकता होती है। समाज और व्यक्ति की उन्नति तब होती है जब सिद्धान्त व्यवहार में उत्तरता है। लेकिन समस्या उठ खड़ी होती है कि सिद्धान्त को व्यवहार में कैसे उतारा जाए? यह काम शिक्षा के द्वारा होता है, गांधी ने भी समाज को समृद्धि करने के लिए एक शिक्षा-पद्धति प्रदान की जिसे बुनियादी शिक्षा के नाम से जाना जाता है।

गांधी का जीवन अपने आप में एक नवयुगीन दर्शन है। गांधी किसी हाड़-माँस के पुतले का नाम नहीं बल्कि एक चिन्तन, एक दृष्टि का नाम है जिसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे

परिभाषित करते हुए गांधी ने कहा है- “मैं मानता हूँ कि कोई भी पद्धति जो शैक्षणिक दृष्टि से सही हो और जो अच्छी तरह से चलाई जाए, आर्थिक दृष्टि से भी उपयोगी सिद्ध होगी। उदाहरण के लिए हम अपने बच्चों को मिट्टी के खिलौने बनाने भी सिखा सकते हैं, जो बाद में तोड़ कर फेंक दिए जाते हैं। इससे भी उनकी बुद्धि का विकास होता है, लेकिन इसमें नैतिक सिद्धान्त की उपेक्षा होती है कि मनुष्य के श्रम, साधन तथा सामग्री का अपव्यय कदापि नहीं होना चाहिये। उनका अनुत्पादक उपयोग कभी नहीं करना चाहिये। अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग होना चाहिये, इस सिद्धान्त के पालन का आग्रह नागरिकता के गुण का विकास करने वाली सर्वोत्तम शिक्षा, साथ ही इससे बुनियादी तालीम स्वावलम्बी भी बनाती है।”¹

बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य

बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य को बताते हुए गांधी ने कहा है कि ‘बुनियादी शिक्षा की मंशा यह है कि गांव के बच्चों को सुधार-संवार कर उन्हें गांव का आदर्श वाशिन्दा बनाया जाए, इसकी योजना खासकर उन्हीं को ध्यान में रखकर की गई है। इस योजना की भी असल प्रेरणा गांव से मिली है। जो कांग्रेसजन स्वराज की इमारत को बिल्कुल उसकी नींवं या बुनियाद से चुनना चाहते हैं, वे देश के बच्चों की उपेक्षा कर ही नहीं सकते। प्रथमतः प्राथमिक शिक्षा में गांवों में बसने वाली हिन्दुस्तान की जरूरतों और गांवों का जरा भी विचार नहीं किया गया है और वैसे देखा जाए तो उसमें शहरों का भी कोई विचार नहीं हुआ है।² नगर और गांव दोनों के लिए बुनियादी शिक्षा की तालिम आवश्यक है— बुनियादी तालीम हिन्दुस्तान के तमाम बच्चों को, फिर वे गांव के रहने वाले हों या शहरों के, हिन्दुस्तान के सभी श्रेष्ठ और स्थायी तत्वों के साथ जोड़ देती है। यह तालीम बालक के मन एवं शरीर दोनों का विकास करती है, बालक को अपने वतन के साथ जोड़े रखती है, उसे अपने और देश के भविष्य का गौरवपूर्ण चित्र दिखाती है और उस चित्र में देखते हुए भविष्य के हिन्दुस्तान का निर्माण करने में बालक या बालिका अपने स्कूल जाने के दिन से ही हाथ बटाने लगे, इसका इन्तजाम करती है।³

गांधी कार्य के द्वारा शिक्षण पर विशेष जोर देते थे। उनका मानना था कि ‘मस्तिष्क सच्ची शिक्षा के लिए शारीरिक अवयवों का समुचित उपयोग आवश्यक है। शारीरिक शक्ति एवं कर्मन्द्रियों के बुद्धिपूर्वक उपयोग से सुन्दर से सुन्दर और शीघ्र से शीघ्र मानसिक विकास संभव हो सकता है।⁴ किसी हस्तकर्म से शिक्षण को जोड़ देने से विद्यार्थी शरीर से समर्थ, बुद्धि से सजग और आत्मविश्वास से परिपूर्ण होता है। फिर

हस्तकर्म से विद्यार्थी कुछ आय भी अर्जित करता है जिससे शिक्षा शुल्क में भी आंशिक स्वावलम्बन हो पाता है।

शिक्षा-दर्शन का प्रयोजन स्पष्ट करते हुए गांधी ने कहा है— हमारे जैसे गरीब देश में हाथ की तालीम जारी रखने से दो हेतु सिद्ध होंगे। उससे हमारे बालकों की शिक्षा का खर्च निकल आएगा और वे ऐसा धंधा सीख लेंगे जिसका अगर वे चाहे तो उत्तर-जीवन में अपनी जीविका के लिए उपयोग कर सकेंगे तथा आत्मनिर्भर बन सकेंगे। राष्ट्र को कोई चीज इतना कमजोर नहीं बनाएगी, जितनी यह बात कि श्रम का तिरस्कार करना सीखें।⁵ साथ ही गांधी यह भी कहते हैं कि मैं उच्च शिक्षा का दुश्मन नहीं हूँ। मेरी योजना में तो अधिक से अधिक सुन्दर से सुन्दर पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ और शोध संस्थान रहेंगे। उनसे जो ज्ञान मिलेगा वह जनता की संपत्ति होगी और जनता को उसका लाभ मिलेगा।⁶ वस्तुतः मैं उच्च शिक्षा में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाकर उसे राष्ट्रीय आकांक्षाओं और आवश्यकताओं से जोड़ना चाहता हूँ।⁷ मैं यह मानता हूँ कि शिक्षा की इस पद्धति से व्यक्ति का सबसे अधिक मानसिक एवं अध्यात्मिक विकास हो सकता है।⁸

बालकों को किसी न किसी जीविका के लिए अवश्य ही प्रशिक्षित करना चाहिये। उसी को ध्यान में रखकर उसके शरीर, मस्तिष्क, हृदय आदि की शक्तियों का भी विकास करना चाहिये। इस प्रकार वह अपने व्यवसाय में दक्षता प्राप्त कर लेगा।⁹

बुनियादी शिक्षा में नागरिकता पर विशेष बल दिया गया है। इस शिक्षा के माध्यम से भावी नागरिकों में आत्मसम्मान, मर्यादा एवं दक्षता के भाव भरने की व्यवस्था की गई है। बालक अपने को राष्ट्र का एक प्रमुख अंग समझकर राष्ट्र निर्माण की दिशा में कार्य करे। बुनियादी शिक्षा व्यवस्था एक वर्गीकृत शिक्षा-व्यवस्था है जिसमें नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास की क्षमता का विकास होता है। इसका पाठ्यक्रम ऐसा है जिससे व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक व आत्मिक विकास की ओर पूर्ण ध्यान दिया जा सके। शिक्षा द्वारा बालकों में कर्तव्यपरायणता के भाव विकसित करने पर बल दिया जाता है।

पाठ्यक्रम की रूपरेखा :

गांधी ने बुनियादी शिक्षा-व्यवस्था की संरचना सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप की है। बुनियादी शिल्प—इसके अन्तर्गत कृषि, कठाई-बुनाई, लकड़ी का कार्य, मिट्टी का कार्य, बागवानी एवं स्थानीय एवं भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप कोई भी शिल्प रखा गया है। बालक इसमें से किसी एक शिल्प का चयन

कर सकता है। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिये जिससे बालक में विचार-विमर्श करने, विषयों को सुव्यवस्थित रूप से समझने, बोलने एवं लिखने की क्षमता विकसित हो सके। नाप-तौल एवं मात्रा के ज्ञान से छात्रों में तर्क-शक्ति का विकास होता है। अतः गणित की शिक्षा का सम्बन्ध भी हस्तशिल्प के साथ होना चाहिये।

इसके अन्तर्गत इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र से सम्बन्धित प्रमुख घटनाओं के अध्ययन पर भी बल दिया गया है जिसका उद्देश्य बालकों में भौगोलिक वातावरण के लगाव, मातृभूमि के प्रति प्रेम का भाव एवं नागरिक कर्तव्यों के बोध से बालकों में मानवीय गुणों का विकास होगा।

गांधी ने प्रकृति अध्ययन, वनस्पतिशास्त्र, जीवविज्ञान, रसायनशास्त्र, शरीर विज्ञान, स्वास्थ्यविज्ञान, नक्षत्र विज्ञान एवं महान वैज्ञानिकों एवं अन्वेषकों की कथाएँ आदि को भी बुनियादी शिक्षा में सम्मिलित किया है। इन विषयों का उद्देश्य प्रकृति को समझना, अवलोकन तथा प्रयोग की क्षमता का विकास एवं प्राकृतिक घटनाओं के सिद्धान्तों को समझना है। इसके अतिरिक्त कला, संगीत, गृहविज्ञान, शारीरिक शिक्षा आदि की शिक्षा पर भी गांधी ने बल दिया है।

गांधी के अनुसार सच्ची शिक्षा बालक के मस्तिष्क, आत्मा और शरीर की शक्तियों का समुचित ढंग से विकास करती है। बालक के व्यक्तित्व का शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास इस प्रकार होना चाहिये कि उसके व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास हो सके। गांधी शरीर मस्तिष्क और आत्मा तीनों में सामंजस्यपूर्ण विकास की बातें करते हैं। उनके अनुसार शारीरिक प्रशिक्षण के बिना मानसिक प्रशिक्षण व्यर्थ है।

पूरी शिक्षा स्वावलम्बी होनी चाहिये। इसमें आखिरी दर्जे तक हाथ का पूरा-पूरा उपयोग होना चाहिये। यानी विद्यार्थी अपने हाथों से कोई न कोई उद्योग धंधा करे।

सारी तालीम विद्यार्थियों को उनकी प्रान्तीय भाषा में दी जानी चाहिये, जिससे उनमें विचार-विमर्श करने, विषयों को सुव्यवस्थित रूप से समझने, बोलने एवं लिखने की क्षमता विकसित हो सके।

बुनियादी शिक्षा में साम्प्रदायिक, धार्मिक शिक्षा के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन नैतिक तालीम से कोई समझौता नहीं होगा। यह तालीम बच्चे लें या बड़े, औरत ले या मर्द, विद्यार्थियों के घरों में पहुँचेंगी।

बुनियादी तालीम चूँकि लाखों करोड़ों विद्यार्थी ग्रहण करेंगे तथा अपने को हिन्दुस्तान का नागरिक समझेंगे, इसलिए उन्हें एक अन्तर प्रान्तीय भाषा नागरी या उर्दू भाषा का ज्ञान होना चाहिये, क्योंकि दोनों भाषाएँ हिन्दुस्तानी लिखी जाने वाली हो सकती हैं। इसलिए दोनों लिपियाँ अच्छी तरह से लिखनी आनी चाहिये।^{१०}

विद्यार्थी जीवन :

गांधी ने समाज के प्रति विद्यार्थियों के कुछ कर्तव्य निर्धारित किये हैं जो इस प्रकार हैं—

१. किसी भी दलबन्दी या राजनीति से दूर रहना,
 २. हड्डताल में सामिल नहीं होना चाहिये।
 ३. सेवा की खातिर शास्त्रीय तरीके से सूत कातना चाहिये।
 ४. अपने ओढ़ने-पहनने के लिए सर्वदा खादी का प्रयोग करना चाहिये।
 ५. बन्दे! मातरम् बोलने या राष्ट्रीय झण्डे को फहराने के लिए किसी पर दबाव नहीं देना चाहिये।
 ६. तिरंगे झण्डे को जीवन में उतार कर साम्प्रदायिकता को जीवन में घर न करने दें।
 ७. दुःखी पड़ोसियों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना।
 ८. विद्यार्थी जो कुछ भी नया सीखे उसे समाज के लोगों को बताये।
 ९. अपने जीवन को निर्मल और संयमी बनायें। कोई भी कार्य लुक-छिप कर न करें, जो भी करें, निर्मल मन से खुल्लम-खुल्ला करें।
 १०. अपने साथ पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के प्रति सोहार्दपूर्ण व्यवहार रखें।
- सारांश रूप में देखा जाए तो गांधी की सम्पूर्ण शिक्षा का मूलाधार सत्य और अहिंसा है जिसके आधार पर आत्म-विकास करना है। उन्होंने जीवन के सभी क्षेत्रों में आग्रहरहित होकर सत्य के संधान के लिए अध्ययन, शोध एवं प्रयोग की आवश्यकता पर बल दिया। यही कारण है कि गांधी का सम्पूर्ण जीवन आदर्शों का प्रयोग रहा। गांधी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि विद्यार्थी देश के प्रति अपने कर्तव्य को समझे। अपने आचरण में पवित्रता लाएं। अनुशासन में रहें। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो झूठ न बोलें। किसी बात को छिपाएँ नहीं, अपने अध्यापकों तथा बड़ों पर भरोसा करके उन्हें हर एक बात सच-सच बतलाएं, किसी के प्रति दुर्भावना न रखें। किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई न करें। सबसे बड़ी बात यह है कि वे स्वयं अपने प्रति सच्चे बनें रहें।^{११}

इसके साथ ही गांधी ने जन-शिक्षा, प्रौढ़-शिक्षा, स्त्री-शिक्षा, धर्म-शिक्षा पर अपने विचार व्यक्त किये हैं, जन-शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति और समाज दोनों का ही विकास संभव है। उनका मानना था कि ग्रामीण एवं शहरी दोनों के बीच समायोजन होना चाहिये। ग्रामवासियों को लिखना-पढ़ना ही नहीं सिखावें वरन् उन्हें उचित व्यवहार करने एवं स्वतंत्र विचार रखने की शिक्षा देनी चाहिये जिससे उनमें अपनी क्षमता को जानने और समझने का अवसर मिले।

जहाँ तक प्रौढ़-शिक्षा की बात है कि गांधी उसके पक्षधर रहे हैं। उनकी दृष्टि में प्रौढ़ शिक्षा साधारण शिक्षा नहीं है जैसा कि लोग उसके बारे में सोचते हैं, बल्कि प्रौढ़ शिक्षा अभिभावकों की शिक्षा है जिससे वे अपने बच्चों के निर्माण में पर्याप्त भूमिका निभा सकें। प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से गांधी निरक्षरता को दूर कर भारतीय नागरिक को सुखी देखना चाहते थे। यही कारण है कि गांधी ने प्रौढ़-शिक्षा के पाठ्यक्रम में उद्योग, व्यवसाय, सफाई, स्वास्थ्य, समाजकल्याण के साथ-साथ बौद्धिक, सामाजिक विकास, भावात्मक एकीकरण एवं संस्कृति से सम्बन्ध रखने वाली क्रियाओं को भी महत्व दिया है।

गांधी ने स्त्री को ईश्वर की श्रेष्ठ रचना माना है। उन्होंने कहा कि स्त्रियों को आधुनिक शृंगारिकता का परित्याग करके प्राचीन आदर्शों को स्थापित करना चाहिये। उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा। जिसे हम घर की दासी समझते हैं वस्तुतः वह हमारी अर्धांगिनी है। उसे भी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। आवश्यकता है उनकी आन्तरिक शक्ति को जागरूक करने की। स्त्री जब अपनी आन्तरिक शक्ति को पहचान जायेंगी तब उन्हें कोई झुका नहीं सकेगा। स्त्री शिक्षा के अन्तर्गत गांधी ने घरेलू ज्ञान के साथ-साथ बालकों की शिक्षा एवं सेवाभाव को प्राथमिकता दी है।

गांधी ने यह माना है कि धर्म-शिक्षा के द्वारा साम्राज्यिकता का अन्त हो सकता है। क्योंकि धर्म हमें रूढ़िवादिता एवं अम्भविश्वास नहीं वरन् प्रेम, न्याय-आदि सिखाता है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह एलान किया है कि यदि भारत को अपना आध्यात्मिक दिवालियापन घोषित नहीं करना है तो उसे नवयुवकों के लिए भौतिक शिक्षा या सांसारिक शिक्षा के समान धार्मिक शिक्षा को भी आवश्यक करना होगा।

सन्दर्भ :

१. हरिजन, ६-४-१९४०
२. रचनात्मक कार्यक्रम, पृ०-८
३. रचनात्मक कार्यक्रम, पृ०-८
४. हरिजन, ८-५-१९३७
५. हरिजन, ८-५-१९३७
६. यंग इंडिया १-९-१९२१
७. हरिजन, ९-७-१९३८
८. हरिजन, ३१-१२-१९३८
९. हरिजन, १८-९-१९३७
१०. हरिजन, ११-१२-१९४७
११. महात्मा गांधी का संदेश, सम्पाद्यू०-१९०८० मोहन राव, प्रै० वि० सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय भारत सरकार, २-१०-१९६९, पृ०-१६